राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3823/2021

भाग चन्द मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. रमेश चन्द मीना, व्याख्याता (हिन्दी), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुलेरी, राजगढ़, जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2021
आदेश की दिनांक : 08.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीना/के.सी. मीना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार दिनांक 01.10.2014 को आयोजित समीक्षा डीपीसी की बैठक के कार्यवृत्त के विरुद्ध, जिसके द्वारा वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से अन्य पद पर चयन का कारण बताते हुए रद्द कर दिया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता (हिंदी) के पद पर पदोन्नति से वंचित करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2011–12 की डीपीसी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर विचार नहीं किया, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरुद्ध व्याख्याता (हिंदी) के पद पर पदोन्नत किया गया है और अपीलार्थी के दिनांक 09.07.2021 के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया और उस पर निर्णय नहीं लिया गया (अनुलग्नक–1 एवं 2)। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.03.2005 (अनुलग्नक–3) द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुलेरी (रैणी) जिला अलवर में पदस्थापित किया गया था तथा उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने 31.3.2005 को उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तथा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उसकी सेवाएं आदेश दिनांक 21.08.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा 31.03.2007 से नियमित कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठ

अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी की तथा अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध उसकी संभागीय वरिष्ठता संख्या 3803 दर्शाकर आदेश दिनांक 02.04.2013 (अनुलग्नक–5) द्वारा उक्त पद पर पदोन्नत किया तथा आदेश दिनांक 08.06.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुर कोटकासिम जिला अलवर में पदस्थापित किया तथा उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा उक्त पद पर निरंतर सेवा दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के लिए 1.10.2014 को समीक्षा डीपीसी की और **"सीधी भर्ती से अन्य पद पर"** कारण दर्शाते हुए अपीलार्थी सहित कई व्यक्तियों के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन को रद्द करने की सिफारिश की, जबकि अपीलार्थी को सीधी भर्ती के माध्यम से अध्यापक–III के पद पर नियुक्त किया गया था और अलग–अलग वरिष्ठता दर्शाते हुए अपीलार्थी का नाम दो स्थानों क्रम संख्या 68 और 69 पर उल्लेखित किया। प्रत्यर्थी विभाग ने फिर से वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की और अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरुद्ध उक्त पद पर पदोन्नत किया, जिसमें उसकी विभागीय वरिष्ठता संख्या 3803 वर्ष 2004–05 दिनांक 4.12. 2016 के आदेशानुसार दर्शाई गयी (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी ने पूर्व में वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति की थी, लेकिन समीक्षा डीपीसी ने गलत कारण बताकर उसका चयन रद्द कर दिया, जबकि अपीलार्थी कानूनी रूप से रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरुद्ध उक्त पद पर पदोन्नति का हकदार है और इसलिए अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2011–12 के रूप में सही करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और जिला शिक्षा अधिकारी अलवर ने पत्र दिनांक 02.04.2016 (अनुलग्नक–8) द्वारा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2011–12 दर्ज करने के लिए उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग को प्रकरण भेजा। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता सूची में उसकी पदोन्नति वर्ष 2011–12 दर्ज करने के लिए लगातार प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया गया था और संबंधित प्रधानाध्यापक ने अपीलार्थी के प्रकरण को पत्र दिनांक 07.10.2020 और 02.02.2021 द्वारा उच्च अधिकारियों को भी भेजा था, लेकिन प्रत्यर्थी वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए पदोन्नति वर्ष को सही नहीं किया है (अनुलग्नक–9 एवं 10)। अपीलार्थी ने दिनांक 19.12.2007 को एम.ए. (हिंदी) की योग्यता भी प्राप्त की है तथा उसे सेवा अभिलेख में दर्ज करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी किया है तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय अलवर ने पत्र

दिनांक 21.01.2016 (अनुलग्नक–11) द्वारा उसे उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर को भेजा है तथा उसे उसके सेवा अभिलेख में शामिल किया गया है, जो कर्मचारी कार्मिक विवरण (प्रोफार्मा–10) से स्पष्ट है (अनुलग्नक–12)। वर्ष 2011–12 के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के पदस्थापन आदेश दिनांक 08.06.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिवदयाल मीना (वरिष्ठता क्रमांक 5214), मुकेश मीना (वरिष्ठता क्रमांक 4801) चेतराम मीना (वरिष्ठता क्रमांक 4969), रमेश चंद मीना (वरिष्ठता क्रमांक 5131) अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं तथा वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर दिनांक 04.12.2016 के पदोन्नति आदेश में शिवदयाल मीना (वरिष्ठता क्रमांक 6182ए) को अपीलार्थी से कनिष्ठ नियुक्त किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्ति पर शिवदयाल मीना को पदोन्नत कर दिया तथा आदेश दिनांक 19.07.2016 द्वारा व्याख्याता (हिंदी) के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्ति पर मुकेश कुमार मीना, चेतराम मीना एवं रमेश चंद मीना को पदोन्नत कर दिया तथा वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2011–12 को संशोधित न करके अपीलार्थी को सभी पात्रता होने के बावजूद उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया (अनुलग्नक–13)। अपीलार्थी ने दिनांक 21.07.2016 को राजस्थान संपर्क ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्यर्थी विभाग को अपनी शिकायतें भी प्रस्तुत की और संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि वरिष्ठता अनुभाग से राहत प्रदान की गई है और डीपीसी अनुभाग से आगे की जानकारी मांगी गई है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी ने अभी भी अपीलार्थी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है (अनुलग्नक–14)। अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 09.07.2021 (अनुलग्नक–1) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वर्ष 2011–12 की पदोन्नति को वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दर्ज करने तथा अपीलार्थी को पदोन्नति की तिथि से व्याख्याता (हिंदी) के पद पर पदोन्नति देने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु अभी तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 01.10.2014 को आयोजित समीक्षा डीपीसी का विवादित निर्णय जिसके द्वारा वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया था, को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वर्ष 2015–16 के स्थान पर वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति पर विचार करें तथा अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर वरिष्ठता सूची में वर्ष को सही

करें तथा अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरुद्ध समीक्षा डीपीसी आयोजित करके सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 25.01.1996 एवं आदेश दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 19.06.2013 को प्रस्तुत हुई है, जो अत्यन्त विलम्ब से कमशः 17 साल 5 माह तथा 2 साल 5 माह बाद प्रस्तुत की गई है। साथ ही न तो विलम्ब की स्थिति को स्पष्ट किया गया है एवं न ही विलम्ब को क्षमा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के संबंध में त्रुटीपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी कार्मिक का वर्ष 2011–2012 में किया गया चयन आलोच्य आदेश दिनांक 01.10.2014 के द्वारा निरस्त किया गया एवं अपीलार्थी का नियमित चयन वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर किया गया। माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि जयपुर संभाग जयपुर के वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की वर्ष 2008–2009 से वर्ष 2014–2015 की रिव्यू डीपीसी नवम्बर–2015 में संपादित हुई। अक्टूबर 2014 में सम्पन्न डीपीसी के उपरांत नवम्बर–2015 की अवधि के दौरान नियमित प्रकिया के तहत वरिष्ठता सूचियों में संशोधन किया जाकर नवम्बर 2015 में उक्त डीपीसी संपादित की गई। इस डीपीसी से पूर्व अस्थाई पात्रता सूची प्रकाशित की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की गई परन्तु तत्समय अपीलार्थी कार्मिक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। यदि अपीलार्थी कार्मिक द्वारा समय पर आपत्ति/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता तो वर्ष 2015 में संपादित डीपीसी के समय ही अपीलार्थी के चयन वर्ष को सुधारा जा सकता था। अपीलार्थी द्वारा बाद में आपत्ति प्रस्तुत करने पर वर्ष 2016–17 की नियमित डीपीसी में अपीलार्थी का चयन किया गया। वर्तमान में समान प्रकरणों के निस्तारण हेतु रिव्यू डीपीसी किया जाना प्रकियाधीन है जो कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर संपादित की जावेगी तथा अपीलार्थी के प्रकरण में नियमानुसार रिव्यू चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) में वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 02.04.2013 के द्वारा पदोन्नत किया गया। उसके उपरान्त लगातार सेवा में रहने के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2014 में हुई रिव्यू डीपीसी दिनांक 01.10.2014

(अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सीधी भर्ती से अन्य पद पर चले जाने का मानते हुए उसको वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर दी गई पदोन्नति को रद्द कर दिया गया एवं उसे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जिससे उसकी व्याख्याता के पद पर पदोन्नति नहीं हो पाई जबकि अपीलार्थी के समान कनिष्ठ अन्य कर्मचारी को भी इस प्रकार हुई त्रुटि को सुधार कर वर्ष 2016–17 की डीपीसी में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का लाभ दे दिये गये है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया है कि समान प्रकरणों के निस्तारण हेतु रिव्यू डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अपीलार्थी के प्रकरण में भी नियमानुसार रिव्यू कार्यवाही करने का तथ्य जवाब में स्वीकार किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं वर्ष 2011–12 की रिव्यू डीपीसी का विवरण/सूची के क्रमांक 68 में अपीलार्थी को सीधी भर्ती से अन्य पद पर मानकर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पूर्व में प्रदत्त पदोन्नति को निरस्त करने की कार्यवाही अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे। उक्त कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य